### न्यायालय-ए०के०गुप्ता,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

आपराधिक प्रक0क्र0-30 / 2015

संस्थित दिनाँक-22.01.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र मे जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

- विरुद्ध
- वीरेन्द्र पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 39 साल
- 2. कौशल उर्फ कौशलेन्द्र पुत्र वीरेन्द्र गुर्जर उम्र 21 साल
- 3. जितेन्द्र पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 35 साल
- 4. राजपाल पुत्र वीरेन्द्रसिंह उम्र 22 साल
- 5. रोमल पुत्र रामनरेश गुर्जर उम्र 22 साल
- 6. रामनरेश पुत्र जगदीश गुर्जर उम्र 47 साल

# \_<u>-ः निर्णय ::-</u> {आज दिनांक 21.07.17 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 504, 325 / 34, 147 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 26.12.14 को समय 15 बजे, ग्राम पिपाहडा चौकी झांकरी थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी राहुल को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोकशांति भंग करे अथवा अन्य अपराध कारित करे, सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में राहुल की मारपीट कर स्वेच्छा घोर उपहति कारित की तथा बलवा कारित किया।

- प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान आहत माखन द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिए जाने के फलस्वरूप आहत माखन के संबंध में अभियुक्तगण का विचारण केवल आहत राहुल के संबंध में किया गया। इस निर्णय द्वारा आहत राहुल के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।
- अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी राहुल गुर्जर अपने गांव में था। उसने दिनांक 26.12.14 को दोपहर करीब 3 बजे आरोपीगण से पूछा कि उसके पिता का मुंह क्यों दबा दिया तो आरोपीगण बोले कि मुंह दबाया है तू क्या कर लेगा और गाली देने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो राजपाल ने बांए हाथ की कोहनी में लाठी मारी, रोमल ने लाठी मारी जो उंगली में लगी। चाचा का लडका माखन आया और बीच बचाव किया तो उसे जितेन्द्र ने लाठी मारी जो दाए हाथ की उंगली में लगी तथा वीरेन्द्र और रामनरेश ने उसे पकड लिया। झगडा गांव के उदल, वीरेन्द्र, शैलेन्द्र ने देखा। उक्त आशय की सूचना से अदम चैक 39/14 लेख

की गयी। दिनांक 17.01.15 को थाना मौ पर अप०क्0-8/15 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

- 4. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूंटा फंसाया जाना बताया।
- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं
  - 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 26.12.14 को समय 15 बजे, ग्राम पिपाहडा चौकी झांकरी थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी राहुल को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोकशांति भंग करे अथवा अन्य अपराध कारित करे ?
  - 2. क्या घटना, दिनांक एवं सुसंगत समय पर आहत राहुल को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति ?
  - 3. क्या अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी राहुल की मारपीट कर उसे स्वेच्छा घोर उपहति कारित की ?
  - 4. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बलवा कारित किया ?

#### <u>—ः सकारण निष्कर्ष ::–</u>

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में माखनिसंह अ०सा० 1, राहुल अ०सा० 2, शेलेन्द्र अ०सा० 3, वीरेन्द्र अ०सा० 04, डा० राहुल भदौरिया अ०सा० 05, श्रीकृष्ण अ०सा० 06 को परीक्षित कराया गया है, जबिक अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

#### //विचारणीय प्रश्न कमांक1 का सकारण निष्कर्ष//

7. राहुल अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि वे आरोपीगण को जानते हैं। घटना दिनांक 26.12. 14 की दिन के तीन बजे की है, उन्होंने यशवंतिसह के दरवाजे के पास बिजली के खंबे के पास राजपाल से पूछा कि उसने राहुल के पिता का मुंह दबाया था तो अभियुक्त राजपाल ने कहािक दबाया, तो तू क्या कर लेगा। जब साक्षी ने उसे गलत बोलने को मना किया तो राजपाल ने लािठी मारी जो बांए हाथ की कोहनी में लगना बताया। इस प्रकार से राहुल अ०सा० 2 ने अभिकथित रूप से अभियुक्तगण या उनमें से किसी के द्वारा अश्लील शब्दों का उच्चारण किए जाने के संबंध में कोई भी कथन अपने अभिसाक्ष्य में नहीं किया है। अन्य साक्षी माखन अ०सा० 1, शैलेन्द्र अ०सा० 3, वीरेन्द्र

अ०सा० 4 पक्षविरोधी हो गए हैं और किसी भी तथ्य का समर्थन नहीं करते हैं। संहिता की धारा 504 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि किन अश्लील शब्दों का प्रयोग अभियुक्त द्वारा किया गया जिसकें कारण फरियादी प्रकोपित हुआ और प्रकोपन इस प्रकार का था कि वह कोई अपराध कारित करे अथवा लोकशांति को भंग करे। ऐसी दशा में प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 504 का आरोप प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

## //विचारणीय प्रश्न कमांक 2 का सकारण निष्कर्ष//

- 8. प्रकरण में फरियादी राहुल यह कथन करते हैं कि जब उन्होंने राजपाल से पूछा कि उसने साक्षी के पिता का मुंह क्यों दबाया तो राजपाल ने कहािक दबाया तो तू क्या कर लेगा। इसके पश्चात् जब फरियादी ने राजपाल को गलत बोलने से मना किया तो राजपाल ने लाठी मारी जो कि राहुल के कोहनी में लगी। एक लाठी रोमल ने मारी जो वहीं खडा था। उक्त लाठी उसके बाए हाथ की उंगली में लगी। तत्पश्चात् वीरेन्द्र, रामनरेश तथा कौशल द्वारा उसे पटककर लातघूंसों से मारपीट करने के संबंध में कथन करता है। बीच बचाव हेतु चाचा के लडके माखन के आने पर जितेन्द्र द्वारा लाठी मारने का कथन किया गया है। शैलेन्द्र, वीरेन्द्र और केशव द्वारा घटना देखने की बात बताई गयी है। इस प्रकार से आहत राहुल द्वारा उसे एक चोट कोहनी में, दूसरी चोट बांए हाथ की उंगली में तथा शेष लातघूंसों की चोटें बताई गयी है, किण्डिका 5 में स्पष्ट किया है कि उसकी कोहनी की बाहर की तरफ चोट आई थी और बांए हाथ की पहली उंगली में चोट आई थी जिसका उसने एक्सरे कराया था जिसमें फेक्चर (अस्थिमंग) आया था। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में प्र0पी0 2 की रिपोर्ट लिखाए जाने का कथन किया है जिस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं।
- 9. साक्षी राहुल द्वारा उसकी चिकित्सा मौ सरकारी अस्पताल में होना बताता है और दिनांक 27. 12.14 को एक्सरे होना बताता है। चिकित्सक डा0 राहुलसिंह भदौरिया अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 26.12.14 को आहत राहुल को आरक्षक 190 सुनील कुमार द्वारा लाए जाने पर उसके बांयी कोहनी में दर्द व सूजन पाए जाने, बांए हाथ के पंजे पर पहली व दूसरी उंगली के नीचे दर्द व सूजन पाए जाने तथा आहत को दाए हाथ के पंजे की तीसरी उंगली पर छिलन का घाव आकार 0.5 गुणा 0.5 सेमी0 पाए जाने, आहत को बांए हाथ के पंजे की पहली उंगली पर छिलन घाव 0.5 गुणा 0.5 सेमी0 पाए जाने का कथन किया है। चोट क0 1 व 2 के लिए एक्सरे की सलाह दिया जाना एवं चोट क0 3 व 4 साधारण प्रकृति की होने का कथन किया है। चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0 6 बताकर उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। दिनांक 27. 12.14 को आहत राहुल गुर्जर का एक्सरे परीक्षण करने पर बांए हाथ की पहली उंगली के बीच में अस्थिमंग पाए जाने का कथन किया है जिसके संबंध में एक्सरे रिपोर्ट प्र0पी0 2 बताकर उसके ए से

ए भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं। इस प्रकार से फरियादी के अभिकथित चोटों के संबंध में चिकित्सीय साक्ष्य एवं प्र0पी0 2 की अदम चेक रिपोर्ट से पुष्टि होती है।

प्रकरण में डा० राहुल अ०सा० 5 द्वारा चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 26.12.14 को अर्थात 10. अभिकथित घटना दिनांक को सांय 5:20 बजे प्र0पी0 6 की रिपोर्ट के अनुसार किया गया है तथा एक्सरे परीक्षण दिनांक 27.12.14 को किया जाना प्र0पी0 9 की रिपोर्ट से दर्शित है। चिकित्सक द्वारा उक्त रिपोर्ट उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किया जाना दर्शित है। ऐसे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर धारा 114 ड के अधीन अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार न होने से विश्वसनीय होना पाईजाती है। इसके अतिरिक्त स्वयं अभियुक्तगण की ओर से चिकित्सक को आहतगण की आई चोटें जमीन पर गिर जाने से आना संभव होने का सुझाव दिया है। इसके विपरीत साक्षी राहुल के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में उसके एंव उसके पिता केशवसिंह, शेलेन्द्र व विक्रम द्वारा घटना दिनांक 26.12.14 को लाठी व फरसा लेकर रामनरेश की मारपीट करने व मारपीट से बचने के लिए झूंठी रिपोर्ट कर देने का बचाव लिया है। अभिकथित बचाव से ऐसा तथ्य प्रकट नहीं होता कि फरियादी को घटना दिनांक को कोई चोटें कारित न हो। चिकित्सीय साक्षी पर अविश्वास हेतु कोई सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो सुझाव कण्डिका 6 में फरियादी राहुल अ०सा० 2 को दिए गए हैं उसका कोई विश्वसनीय आधार अभिलेख पर दर्शित नहीं हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 26.12.14 को दोपहर करीब 3 बजे फरियादी राहुल को शरीर पर चोटें मौजूद थी जिसमें बांए हाथ की पहली उंगली में अस्थिभंग भी मौजूद था। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना हैं कि क्या अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को उपहति कारित करने के आशय से उक्त चोटें कारित की गयी ?

#### //विचारणीय प्रश्न कमांक ३, ४ का सकारण निष्कर्ष//

11. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थित में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में फरियादी राहुल अ०सा० 2 द्वारा राजपाल से गलत बोलने से मना करने पर लाठी मारने तत्पश्चात् रोमल द्वारा उसके बांए हाथ की उंगली में लाठी मारना तथा वीरेन्द्र, रामनरेश और कौशल द्वारा उसे पटककर मारपीट करने के संबंध में कथन किया है। आहत माखन को बीच बचाव करने आने पर जितेन्द्र द्वारा लाठी मारने का कथन किया है। उक्त तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट लिखाए जाने की बताई है। माखन अ०सा० 1, शेलेन्द्र अ०सा० 3, वीरेन्द्र अ०सा० 4 द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। माखन अ०सा० 1 द्वारा किया गया कथन उसके अभियुक्तगण से राजीनामा कर लिए जाने के उपरांत किए गए हैं जिसमें साक्षी ने दिनांक 26.12.14 को कोई भी झगड़ा न होने, उसका झूंठा नाम फरियादी राहुल द्वारा लिखाए जाने का कथन किया है। प्रकरण में साक्षी राहुल ने इस सुझाव से इंकार किया कि

माखनिसंह से कोई झगडा नहीं हुआ। अनुसंधानकर्ता श्रीकृष्ण अ०सा० 6 को इस संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गयी कि माखनिसंह घटनास्थल पर नहीं था। साथ ही डा० राहुल अ०सा० 5 को भी इस आशय की चुनौती नहीं दी गयी कि उक्त दिनांक 26.12.14 को उनके द्वारा आहत माखन का कोई चिकित्सीय परीक्षण एवं दिनांक 27.12.14 को एक्सरे परीक्षण नहीं किया था। ऐसी दशा में आहत माखन का पक्षविरोधी घोषित किया जाना अभियोजन के मामले को क्षति कारित नहीं करता है।

12. प्रकरण में अन्य साक्षीगण के द्वारा फिरयादी के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है, जिसके संबंध में अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि केवल फिरयादी द्वारा प्रकरण में कथन किया है। प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि राहुल अ0सा0 2 के कथन में अविश्वास का कोई युक्तियुक्त आधार प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। जो किण्डका 6 में विवाद दर्शाने का प्रयास किया है उसके संबंध में कोई विश्वसनीय आधार या साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत फिरयादी के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण से समर्थित असंदिग्ध साक्ष्य प्रस्तुत की है। जो विरोधाभास साक्षी के प्रतिपरीक्षण में दर्शाने का प्रयास किया गया है वे गंभीर न होते हुए सूक्ष्म प्रकृति के हैं। फिरयादी राहुल के अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन किए जाने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। आहत साक्षी की साक्ष्य महत्वपूर्ण होती है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259 की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मृत्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि —

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552: (2011)7 SCC 421 भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में निम्नानुसार अभिव्यक्त किया—"21. The evidence of the stamped witness must be given due weightage as his presence on the place of occurrence cannot be doubted. His statement is generally considered to be very reliable and it is unlikely that he has spared the actual assailant in order to falsely implicate someone else. The testimony of an injured witness has its own relevancy and efficacy as he has sustained injuries at the time and place of occurrence and this lends support to his testimony that he was present at the time of occurrence. Thus, the testimony of an injured

witness is accorded a special status in law. Such a witness comes with a

built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare his actual assailant(s) in order to falsely implicate someone. "Convincing evidence is required to discredit an injured witness". Thus, the evidence of an injured witness should be relied upon unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradictions and discrepancies therein. (Vide: Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259: (AIR 2011 SC (Cri) 964: 2010 AIR SCW 5701); Kailas and Ors. v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 793: (AIR 2011 SC 598); Durbal v. State of Uttar Pradesh, (2011) 2 SCC 676: (AIR 2011 SC 795: 2011 AIR SCW 856); and State of U.P. v. Naresh and Ors., (2011) 4 SCC 324: (Cri) 761 (AIR 2011 AIR SCW 2011 SC Resently Followed in :- Narender Singh and others v. State of Madhya Pradesh 2015(11) SCALE 557 : JT 2015 (9) SC 435"

- जहां तक फरियादी के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तृत किया है तो उसके कथन में 13. कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। न्यायदृष्टांत योगेशसिंह विरूद्ध महावीरसिंह व अन्य एआईआर 2016 एस0सी0-5160 : जे0टी0 2016 (10) एस0सी0 332 : 2016 (4) सीसीएससी 1876 की कण्डिका 29 में मान0 सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ''विधि में सुस्थापित है कि कुछ असंगतताओं को महत्व प्रदान नहीं किया जाना चाहिए और साक्ष्य पर विश्वसनीयता के दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण यह है कि क्या वह न्यायालय के मस्तिष्क में विश्वास उत्पन्न करता है। यदि साक्ष्य असाधारण है और प्रज्ञा के परीक्षण के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो वह अभियोजन कथन में कमी सृजित कर सकता है। यदि कोई लोप या असंगगता मामले की तह तक जाती है और विषमताओं को प्रविष्ट करती है, तो प्रतिरक्षा ऐसी असंगतियों का लाभ ग्रहण कर सकता है। यह अभिकथित करने के लिए किसी विशेष प्रबलता की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक लोप तात्विक लोप का स्थान नहीं ले सकता इसलिए कुछ असंगतियां, विषमताएं या महत्वहीन अलंकरण अभियोजन के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते और अभियोजन साक्ष्य को नामंजूर करने के लिए आधार रूप में ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। लोप को साक्षी की विश्वसनीयता या विश्वास योग्यता के बारे में गंभीर संदेह सुजित करना चाहिए। केवल गंभीर पारस्परिक विरोध और लोप ही, तात्विक रूप से अभियोजन के मामले को प्रभावित करते हैं किन्तु प्रत्येक परस्पर विरोध या लोप नहीं।" इस मामले में फरियादी राहल अ०सा० २ की साक्ष्य पर न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेत् युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।
- 14. प्रकरण में जहां अभियुक्त रोमल के द्वारा फरियादी राहुल को बाए हाथ की उंगली में अस्थिभंग कारित किए जाने संबंधी तथ्य प्रमाणित हैं वहीं सह अभियुक्तगण द्वारा तत्समय उसकी मारपीट करना और बीच बचाव करने आ रहे माखन को अभियुक्त जितेन्द्र द्वारा लाठी से मारपीट

करने का तथ्य अभियुक्तगण के सामान्य उद्देश्य के संबंध में न्यायालय के समक्ष विश्वसनीय आधार गठित करता है। प्रकरण में अभियुक्त रोमल एवं राजपाल द्वारा लाठी से मारपीट करने एवं अभियुक्त जितेन्द्र द्वारा माखन को लाठी से मारपीट करने के संबंध में तथ्य बताए हैं जिनके संबंध में अभियुक्तगण का सामान्य आशय गठित कर स्वेच्छा उपहित एवं घोर उपहित कारित किए जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। साथ ही अभियुक्तगण द्वारा दो व्यक्तियों से अधिक की संख्या में फरियादी पर बल एवं हिंसा का प्रयोग कर उसे उपहित कारित किए जाने का अपराध प्रमाणित पाया जाता है।

- 15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 26.12.14 को समय 15 बजे, ग्राम पिपाइडा चौकी झांकरी थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी राहुल को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर इस आशय से प्रकोपित किया कि वह लोकशांति भंग करे अथवा अन्य अपराध कारित करे, सह अभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रशरण में राहुल की मारपीट कर स्वेच्छा घोर उपहित कारित की तथा बलवा कारित किया। अतः अभियुक्त रोमल को संहिता की धारा 325, 147 तथा शेष अभियुक्तगण को संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के आधार पर संहिता की धारा 325/149, 147 के अधीन दिण्डत किया जाता है। अभियुक्तगण संहिता की धारा 504 के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।
- 16. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।
- 17. अभियुक्तगण के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उनकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थिगत किया जाता है।

सही / –

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

#### पुनश्च:

18. अभियुक्तगण एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्तगण की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्तगण के ग्रामीण मजदूर कृषक व एक ही परिवार के होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।

- 19. अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं आहत / फरियादी को स्वेच्छा मारपीट कर घोर उपहित कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं ऐसे में अभियुक्तगण को कठोरतम दण्ड से दिण्डत किए जाने का आधार न पाते हुए उन्हें कठोरतम दण्ड से दिण्डत न करना उचित पाया जाता है। अतः अभियुक्त रोमल को संहिता की धारा 325 के अधीन कमशः 6 माह के सश्रम कारावास व 300 रूपये अर्थदण्ड तथा संहिता की धारा 147 के अधीन 3 माह के सश्रम कारावास शेष अभियुक्तगण को धारा 325 / 149 के अधीन कमशः 6 माह के सश्रम कारावास व 300 रूपये अर्थदण्ड तथा संहिता की धारा 147 के अधीन 3 माह के सश्रम कारावास व 300 रूपये अर्थदण्ड तथा संहिता की धारा 147 के अधीन 3 माह के सश्रम कारावास, से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को एक—एक माह का अतिरित कारावास भुगताया जावे।
- 20. अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी / आहत **राहुल गुर्जर** को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दप्रस की धारा 357-1 ख के अधीन 1000 / रूपये (एक हजार रूपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।
- 21. प्रकरण में जब्त लाठी डण्डे मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट किए जाने, अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।
- 22. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्तगण को प्रदान की जावे।
- 23. अभियुक्तगण की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

  निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर, मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

  हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया ।

सही/-

ए०के० गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी म श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश ध्यप्रदेश